

राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS/मार्च/7696

दिनांक 27/3/2026

समस्त
विभागाध्यक्ष।

विषय:- माह मार्च 2026 (देय माह अप्रैल) के संवेतन बिलों के संदर्भ में दिशा-निर्देश।


महोदय,

माह मार्च 2026 (देय माह अप्रैल 2026) के संवेतन बिल आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर तैयार किए जाकर समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के लॉगिन में दिनांक 25.03.2026 से प्रदर्शित होंगे। इस पर निम्न कार्यवाही अपेक्षित है :-

1. संवेतन बिल वर्ष 2026-27 में उपलब्ध बजट मदों से मैप कर बनाये जायेंगे। विभाग द्वारा नवीन/परिवर्तित मदों में कार्यालयवार पद आवंटन/अन्य बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट आवंटन इत्यादि की आवश्यकताओं की पूर्ति आई.एफ.एम.एस. पर किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा डीडीओं को संवेतन बिलों में डेटा उपलब्ध नहीं होगा।
2. सिस्टम जनरेटेड संवेतन बिलों में बजट मदों/मांग संख्या/कार्मिकों के वेतन इत्यादि की जांच आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर की जाकर OTP आधारित लॉगिन से दिनांक 01 अप्रैल 2026 को बिल सम्बद्ध कोष को फॉरवर्ड किए जा सकेंगे।
3. कार्मिकों के स्थानान्तरण के प्रकरणों में आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर ज्वाइनिंग/रिलीविंग/Additional charge की प्रक्रियायें पूर्ण की जाये।
4. आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा का वेरीफिकेशन कार्यालयाध्यक्ष व आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित कर लिया जाये।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय


(राजन विशाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS/मार्च/ 7697-7701

दिनांक 27/3/2026

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी., वित्त भवन, जयपुर।
4. कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि माह मार्च 2026 देय माह अप्रैल 2026 के संवेतन बिल दिनांक 01.04.2026 को प्राथमिकता से पारित किया जाना सुनिश्चित करें।
5. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर सैल), वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

27/3/2026
निदेशक एवं प्रदेन
संयुक्त शासन सचिव